प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील सं. 106/2016

1. उमाशंकर पुरोहित, मृत, विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से, आयु- लगभग 18 वर्ष, श्रीमति अलका पुरोहित, पति- उमाशंकर पुरोहित, आयु- लगभग 45 वर्ष, निवासी- एम. आई. जी. सी.-528, पद्मनाभपुर, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

2. विशाल पुरोहित, पिता- उमाशंकर पुरोहित, आयु- लगभग 14 वर्ष, अप्राप्तवय, माता श्रीमती अलका पुरोहित के माध्यम से प्रतिनिधित्व, निवासी- एम. आई. जी. सी- 528, पद्मनाभपुर, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

3. कुमारी मिलानी पुरोहित, पिता- उमाशंकर पुरोहित, आयु लगभग 15 वर्ष, अप्राप्तवय, माता श्रीमती अलका पुरोहित के माध्यम से प्रतिनिधित्व, निवासी- एम. आई. जी. सी- 528, पद्मनाभपुर, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

4. श्रीमती शालिनी जैन, पिता- उमाशंकर, आयु- लगभग 26 वर्ष, पति- प्रीमन जैन, निवासी- पुराना बस स्टैंड, राजनंदगांव, जिला- राजनंदगांव, छत्तीसगढ़

...... अपीलार्थी

बनाम

1. चंद्रशेखर पुरोहित, पिता- स्वर्गीय प्रभुलाल पुरोहित, आयु- लगभग 51 वर्ष, पता- पुरोहित लॉज, कचहरी रोड, दुर्ग, वर्तमान पता- नई अनाज मंडी के पास, सवाई माधोपुर रोड, आओल सोट, जिला दौसा, राजस्थान

2. श्यामसुंदर खंडेलवाल @ लालू सेठ, पिता- स्वर्गीय मधोलाल खंडेलवाल, आयु- लगभग 48 वर्ष, व्यवसाय : धान मिल, खंडेलवाल कॉलोनी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. रोहित खंडेलवाल, पिता- श्यामसुंदर खंडेलवाल, आयु- लगभग 25 वर्ष, खंडेलवाल कॉलोनी, दुर्ग, तहसील और जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

4. श्रीमती निशा खंडेलवाल, पति- श्यामसुंदर खंडेलवाल, आयु- लगभग 43 वर्ष, मृत पुत्र रोशन खंडेलवाल की विधिक प्रतिनिधि, निवासी- खंडेलवाल कॉलोनी, दुर्ग, तहसील और जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

5. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- जिला कलेक्टर, दुर्ग, छत्तीसगढ़

...... प्रत्यर्थी

अपीलार्थियों की ओर से	:	श्री टी. के. झा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से	:	कोई नहीं, यद्यपि सूचना तामील
उत्तरदाता सं. 2 से 4 की ओर से	:	श्री बी. पी. शर्मा, अधिवक्ता सह सुश्री निधि तिवारी, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री त्रिवेणी शंकर साहू, अधिष्ठित अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पाण्डेय

पीठ पर निर्णय

27-10-2025

1) अपीलार्थियों/वादियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत यह प्रथम अपील व्यवहार वाद सं. 4-A/2013 में विद्वान जिला न्यायाधीश, बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) द्वारा पारित 26.2.2015 दिनांकित आदेश को चुनौती दी है, जिसमें वादपत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (घ) के तहत उपबंधों को लागू करते हुए खारिज कर दिया गया था।

2) वर्तमान प्रकरण के तथ्य यह हैं कि मूल वादी उमाशंकर पुरोहित ने ग्राम- लिमोड़ा, तहसील- गुंडरदेही, जिला- बालोद (छ.ग.) में स्थित सर्वेक्षण सं. 141, 145 और 200 कुल क्षेत्र 15.05 एकड़ भूमि से संबंधित स्वामित्व और स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए एक व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था। मूल वादी ने आगे इस प्रभाव की घोषणा करने की मांग की कि प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 के पक्ष में निष्पादित 31.10.2007 दिनांकित विक्रय विलेख को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अमान्य घोषित किया जाए कि स्वर्गीय कस्तूरीचंद पुरोहित, जो मूल वादी के पिता थे, ने प्रेम और स्नेह के कारण अप्राप्तवय चंद्रशेखर पुरोहित (प्रतिवादी सं. 1) के नाम पर 27.02.1974 दिनांकित पंजीकृत विक्रय- विलेख के माध्यम से अपनी आय से वाद संपत्ति खरीदी थी। उस विक्रय- विलेख में प्रतिवादी सं. 1 का नाम क्रेता के रूप में और कस्तूरचंद पुरोहित का नाम संरक्षक के रूप में दर्ज किया गया था। इसमें अपीलकर्ता मूल वादी उमाशंकर पुरोहित के विधिक प्रतिनिधि हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3) प्रतिवादी सं. 2 से 4 ने लिखित कथन प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों का खंडन किया। बेनामी संव्यवहार के संबंध में प्रतिवादी सं. 2 से 4 द्वारा एक विनिर्दिष्ट अभिवचन दायर किया गया था और यह कथन भी किया गया था कि यह वाद बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 4 (1) के उपबंधों द्वारा प्रभावित है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अधिनियम, 1988 की धारा 4 (1) के आलोक में व्यवहार वाद की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक विवाद्यक तैयार किया। विद्वान विचारण विचारण ने वादपत्र किए गए कथनों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादपत्र संपत्ति एक सह-पक्षीय संपत्ति नहीं थी और वादपत्र अधिनियम, 1988 की धारा 4 (1) के उपबंधों से प्रभावित है और परिणामस्वरूप वादपत्र को खारिज कर दिया।

4) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री टी. के. झा निवेदन करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र को खारिज करते समय विधि की त्रुटि की और विचारण न्यायालय को विवाद्यक तैयार करने के बाद पक्षों के साक्ष्य अभिलिखित करना

चाहिए था और वाद की सुनवाई की जानी चाहिए थी। आगे वे निवेदन करते हैं कि वाद संपत्ति बेनामी थी या नहीं, यह प्रारंभिक स्तर पर विचारण न्यायालय द्वारा तय नहीं किया जा सकता था। उनका तर्क है कि वाद संपत्ति अधिनियम, 1988 के अधिनियमन से पहले वर्ष 1974 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर खरीदी गई थी, अतः विचारण न्यायालय ने अधिनियम, 1988 के उपबंधों को पूर्वव्यापी रूप से लागू करके विधिक त्रुटि कारित की। उन्होंने **सिविल अपील सं. 5783/2022 भारत संघ व एक अन्य बनाम मैसर्स गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड** के मामले में माननीय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संशोधित अधिनियम, 2016 की धारा 5 के तहत ज़ब्ती का प्रावधान दंडात्मक प्रकृति का होने के कारण केवल संभावित रूप से लागू अभिनिर्धारित किया जा सकता है, पूर्वव्यापी रूप से नहीं। आगे उन्होंने तर्क किया कि विचारण न्यायालय को केवल वाद में किए गए कथनों पर विचार करना चाहिए था, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में, विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अधिनियम, 1988 की धारा 4 (1) के उपबंधों से प्रभावित था। वे आक्षेपित आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना करते हैं।

5) दूसरी ओर, प्रतिवादी सं. 2 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी. पी. शर्मा विरोध करते हैं। वे निवेदन करते हैं कि अधिनियम, 1988 की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार, बेनामी संपत्ति के संबंध में किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए कोई वाद, दावा या कार्रवाई उस व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी जिसके नाम पर संपत्ति रखी गई या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी संपत्ति का वास्तविक मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से होगी। आगे वे निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय ने वादपत्र को अधिनियम, 1988 की धारा 4 (1) के उपबंधों द्वारा प्रभावित मानकर सही रीति से खारिज कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अत्यंत सावधानीपूर्वक अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7) वादपत्र के कण्डिका- 2 में, वादपत्र ने दलील दी है कि वाद संपत्ति कस्तूरचंद पुरोहित अर्थात् मूल वादी के पिता द्वारा अपनी आय से 27.02.1974 दिनांकित पंजीकृत विक्रय-विलेख के माध्यम से चंद्रशेखर पुरोहित (प्रतिवादी सं. 1) के नाम पर प्यार और स्नेह से कारण खरीदी गई थी। वादपत्र की कण्डिका- 4 में, वादी ने कथन किया है कि चंद्रशेखर पुरोहित का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था, परन्तु वह कभी भी कबिज नहीं रहे। कण्डिका-6 में यह कथन किया गया है कि कस्तूरचंद पुरोहित की मृत्यु 8.2.2000 को हुई थी और उस समय प्रतिवादी नं. 1 ने कहा था कि वाद संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8) स्वीकृत तौर पर, विक्रय- विलेख प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया था और उसका नाम राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज किया गया था। तत्पश्चात् पंजीकृत विक्रय-विलेख और राजस्व अभिलेख में की गई प्रविष्टियों के माध्यम से अर्जित अधिकार के आधार पर, प्रतिवादी सं. 1 ने 31.10.2007 दिनांकित पंजीकृत विक्रय- विलेख के माध्यम से प्रतिवादी सं. 2 से 4 के पक्ष में संपत्ति को अन्यसंक्रांत कर दिया।

9) अधिनियम, 1988 की धारा 4 निम्नानुसार हैः-

> **4. बेनामी धारित संपत्ति के प्रत्युद्धरण के अधिकार का प्रतिषेध- (1)** बेनामी धारित किसी संपत्ति के संबंध में किसी अधिकार को प्रवृत्त करने के लिए कोई वाद, दावा या कार्रवाई किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जिसके नाम में संपत्ति धारित है, या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ऐसी सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करता है, या उसकी ओर से, किसी न्यायालय में नहीं होगी।
>
> (2) बेनामी धारित संपत्ति के वास्तविक स्वामी होने का दावा करने वाले

व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके नाम संपत्ति धारित है, या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध, किसी वाद, दावे या कार्रवाई में बेनामी धारित किसी संपत्ति की बाबत किसी अधिकार पर आधारित कोई प्रतिरक्षा अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(3) इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां, -

(क) वह व्यक्ति, जिसके नाम पर संपत्ति धारित है, हिंदू अविभक्त कुटुम्ब में सहदायिक है, और ऐसी संपत्ति कुटुम्ब के सहदायिकों के फायदे के लिए धारित है; या

(ख) वह व्यक्ति, जिसके नाम पर संपत्ति धारित है, न्यासी है या वैश्वासिक हैसियत में स्थित अन्य व्यक्ति है, और संपत्ति ऐसे अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए धारित है जिसके लिए वह न्यासी है या जिसके प्रति वह ऐसी हैसियत में स्थित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस उपबंधे के वाचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बेनामी धारित संपत्ति के वास्तविक स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके नाम संपत्ति धारित है, या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध, किसी वाद, दावे या कार्रवाई में बेनामी धारित किसी संपत्ति की बाबत किसी अधिकार पर आधारित कोई प्रतिरक्षा अनुज्ञात नहीं की जाएगी। उप-धारा (3) यह स्पष्ट करती है कि धारा 4 (1) और (2) तब लागू नहीं होंगे जब वह व्यक्ति जिसके नाम पर संपत्ति धारित है, हिंदू अविभक्त कुटुम्ब में सहदायिक है, और ऐसी संपत्ति कुटुम्ब के सहदायिकों के फायदे के लिए धारित है; या वह व्यक्ति, जिसके नाम पर संपत्ति धारित है, न्यासी है या वैश्वासिक हैसियत में स्थित अन्य व्यक्ति है, और संपत्ति ऐसे अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए धारित है जिसके लिए वह न्यासी है या जिसके प्रति वह ऐसी हैसियत में स्थित है।

10) वादपत्र के परिशीलन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वाद संपत्ति कस्तूरचंद पुरोहित द्वारा चंद्रशेखर पुरोहित (प्रतिवादी सं. 1) के नाम पर प्यार और स्नेह के कारण खरीदी गई थी और चंद्रशेखर पुरोहित का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था। वादपत्र में कहीं भी यह कथन नहीं किया गया है कि वादी सह-पक्षकार थे या चंद्रशेखर पुरोहित वाद संपत्ति के न्यासी थे। विचारण न्यायालय ने अधिनियम, 1988 की धारा 4 (1) के उपबंधों को लागू किया है और निष्कर्षित किया है कि वाद अधिनियम, 1988 की धारा 4 (1) के उपबंधों से प्रभावित था।

11) **गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम, 1988 की धारा 5 के विस्तार पर विचार किया है जो अधिग्रहण के लिए उत्तरदायी बेनामी संपत्ति से संबंधित है। तथापि, वर्तमान प्रकरण में, अधिनियम, 1988 की धारा 5 के उपबंधों पर न तो विचार किया गया है और न ही चर्चा की गई है, अतः अपीलार्थियों को ऊपर उद्धरित निर्णय से कोई सहायता नहीं मिलेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) इसके अलावा, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII** नियम 11 के उपबंधों को लागू करते समय, न्यायालय को केवल वादपत्र में किए गए कथनों पर ध्यान देना होगा और बचाव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। श्री झा द्वारा दिए गए तर्क को माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा **अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड बनाम नीलकंठ रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड व अन्य**[1] के मामले में हाल ही में पारित निर्णय के आलोक में स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसमें सर्वोच्च न्यालालय ने आपत्तिकर्ता (डेमरर) के अभिवचन पर शासी सिद्धांतों को स्पष्ट कर दिया है- एक विधिक अभिवचन जो अभिवचन के तथ्यों की सच्चाई पर प्रश्न उठाए बिना विधि में दावे की पर्याप्तता का परीक्षण करती है। आपत्तिकर्ता (डेमरर) का अभिवचन प्राप्त कर, दूसरा पक्ष इसकी वैधता पर प्रश्न उठाता है। सर्वोच्च न्यालालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि आपत्तिकर्ता (डेमरर) किसी दावे की विधिक पर्याप्तता को चुनौती देने के लिए वैध

1 2025 LiveLaw (SC) 1028

प्रक्रियात्मक उपकरण है, परन्तु यह अभिवचनों पर स्पष्ट रूप से विधि के शुद्ध प्रश्नों तक ही सीमित होना चाहिए। उपरोक्त निर्णय ने आपत्तिकर्ता (डेमरर) पर विधि की स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया हैः

> (i) आपत्तिकर्ता (डेमरर) का अभिवचन आपत्ति करने या अपवाद लेने या विरोध करने का अधिनियम है। यह एक पक्ष द्वारा किया गया अभिवचन है जो मामले की सच्चाई को "मानता है" जैसा कि विरोधी पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है, परन्तु यह स्थापित करता है कि यह दावे को बनाए रखने के लिए विधि में अपर्याप्त है, या अभिवचनों में कुछ अन्य दोष है जो एक विधिक कारण है कि वाद को आगे बढ़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह मानते हुए भी कि जिन तथ्यों का कथन किया गया है वे सच हैं, न्यायालय के पास विधिक दृष्टि से अधिकारिता नहीं है।अभिवचन दायर करने वाला पक्ष अपनी तथ्यात्मक सटीकता के बजाय वादपत्र/वाद/कार्रवाई की विधिक पर्याप्तता को चुनौती देता है।
>
> (ii) सरल शब्दों में कहा जाए तो आपत्तिकर्ता (डेमरर) के बारे में निर्णय का निर्धारण वादपत्र से पहले ही किया जाना चाहिए।
>
> (iii) (2004) 7 एस.सी.सी 447 में प्रतिवेदित मैन रोलैंड ड्रुकीमाचिनेन ए.जी. बनाम मल्टीकलर ऑफसेट लिमिटेड व एक अन्य में इस न्यायालय के निर्णय ने एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य को सामने लाया कि केवल कुछ आपत्तियां ही आपत्तिकर्ता (डेमरर) के माध्यम से निर्णीत की जा सकती हैं। केवल उन आपत्तियों का निर्णय आपत्तिकर्ता (डेमरर) के माध्यम से किया जा सकता है जिनमें न तो तथ्यों के प्रश्न सम्मिलित हों और न ही कोई और साक्ष्य सम्मिलित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया हो।

(iv) यह नियम कि जब विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न का निर्णय एक आपत्तिकर्ता (डेमरर) के आधार पर किया जाता है, तो इस विवाद्यक को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जाएगा, जो (2004) 12 एस. सी. सी. 376 में प्रतिवेदित भारतीय खनिज और रसायन कंपनी व अन्य बनाम डुचे बैंक के प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय में भी निहित था।

(v) (2006) 5 एस. सी. सी. 638 में प्रतिवेदित रमेश बी. देसाई व अन्य बनाम बिपिन वाडिलाल मेहता व अन्य के प्रकरण में यह न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से परिसीमा के विवाद्यक से संबंधित था और इसने आदेश **XIV** नियम 2 के तहत अधिदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उपबंधित है कि केवल यदि न्यायालय का मत है कि प्रकरण या उसके किसी भी भाग का निराकरण केवल विधि के शुद्ध विवाद्यक पर किया जा सकता है, तो वह पहले उस विवाद्यक पर विचार कर सकता है। विधि का यह विवाद्यक हो सकता है कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है या नहीं, लेकिन परन्तु जंहा परिसीमा का ऐसा प्रश्न विशुद्ध रूप से विधि का विवाद्यक हो।

(vi) आपत्ति के माध्यम से उठाए गए सीमा के विवाद्यक और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII** नियम 11 (घ) के तहत वादपत्र की अस्वीकृति के लिए एक आवेदन के बीच समानता की बात पहली बार रमेश बी देसाई (पूर्वोक्त) के प्रकरण में की गई थी। नियम के तौर पर, आदेश **VII** नियम 11 (घ) के तहत प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते समय विवादित प्रश्नों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तय किया जाना है कि क्या प्रथम दृष्टया, वादपत्र में की गई बातें, बिना किसी शक या विवाद के, यह दर्शाती हैं कि वाद परिसीमा या किसी दूसरे अन्य प्रभावी विधि द्वारा वर्जित है या नहीं।

(vii) रमेश बी. देसाई (पूर्वोक्त) के प्रकरण में इस न्यायालय ने परिसीमा के अभिवचन की प्रकृति पर चर्चा की। यह कहा गया कि " परिसीमा के अभिवचन को तथ्यों से पृथक विधि के एक अमूर्त सिद्धांत के तौर पर तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर मामले में, परिसीमा की प्रारंभिक बिंदु का पता लगाना होता है, जो पूरी तरह से तथ्यात्मक प्रश्न है।" इसलिए, यह दोहराया गया कि, ज़्यादातर मामलों में, परिसीमा का अभिवचन विधि और तथ्य का मिला-जुला प्रश्न होगा। इसलिए, ऐसे हालात बन सकते हैं जिनमें यह तय नहीं किया जा सकता कि उपयुक्त अभिवचनों, परिसीमा का विवाद्यक बनाए बिना और सबूत लिए बिना प्रकरण को परिसीमा द्वारा वर्जित मानकर खारिज किया जा सकता है या नहीं। दूसरे शब्दों में यह वादपत्र से पहले ही किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(viii) अतः किसी वादपत्र की अस्वीकृति के संबंध में निर्णय की प्रकृति में यह अंतर्निहित है कि, अगर न्यायालय को वादपत्र में कही गई बातों की जांच करने के बाद वादपत्र को शुरू में ही खारिज न करना सही लगता है, तो प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद, यह आधार ले सकता है कि वाद अभी भी किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ix) ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिवादी को इस विवाद्यक के संबंध में अपना बचाव करने का अवसर नहीं दिया जाता है कि वाद आदेश **VII** नियम 11 (घ) के स्तर के दौरान किसी भी विधि द्वारा, अभिलेख

पर, वर्जित है। भले ही वह ऐसा करता है, न्यायालय प्रतिवादी के लिखित कथनों या किसी भी साक्ष्य पर गौर नहीं करेगा जिसे वह प्रस्तुत करना चाहेगा। अतः एक निर्णय जो प्रारंभिक स्तर पर उसके विरूद्ध जाता है, उसे ठीक से बचाव करने का अवसर दिए बिना, उसके लिए नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। चूँकि आपत्तिकर्ता (डेमरर) का अभिवचन आदेश **VII** नियम 11 (घ) के तहत किए गए आवेदन के समान है, इसलिए वही सिद्धांत लागू होने चाहिए।

(x) यह नहीं कहा जा सकता है कि वादपत्र की अस्वीकृति के स्तर पर, प्रतिवादी/प्रत्यर्थी वाद करने के अपने अधिकार को हटाने का विकल्प चुनता है और इसके बजाय, केवल विधिक रूप से वादपत्र की पर्याप्तता का परीक्षण करने का मार्ग अपनाता है। इस स्तर पर, अभिवचन या विरोध के मध्य कोई विकल्प नहीं है और प्रतिवादी/प्रत्यर्थी को अभिवचन के बजाय विरोध करने को चुनने वाला नहीं माना जा सकता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस स्तर पर उस पर कथन करने के लिए सबूत का कोई भार नहीं है। वह बस रुक सकता है या वादी के विधि में अपने दावे की पर्याप्तता को साबित करने की प्रतीक्षा कर सकता है, भविष्य में अभिवचन या साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को प्रभावित किए बिना।

(xi) 1913 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 4 में प्रतिवेदित कन्हैयालाल बनाम द नेशनल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रकरण में, प्रिवी काउंसिल ने स्पष्ट किया कि आपत्ति पर निर्णय या आपत्तिकर्ता (डेमरर) के माध्यम से उठाए गए अभिवचन को यह मानते हुए दिया जाएगा कि वाद के कथन सही हैं, साथ ही प्रतिवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को यह दिखाने का अधिकार सुरक्षित होगा कि ये आरोप कार्रवाई के अगले चरणों में या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से झूठे हैं, अगर उसकी आपत्ति को खारिज कर दिया जाए। यद्यपि, जहां तक प्रारंभिक बिंदु के रूप में उठाई गई आपत्ति पर निर्णय का संबंध है, वादपत्र में बताई गई हर बात को सही माना जाएगा।दूसरे शब्दों में, प्रिवी काउंसिल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विधि और तथ्य के मिश्रित बिंदु पर निर्णय, आपत्तिकर्ता (डेमरर) के माध्यम से लिया गया है, ऐसी स्थिति में पूर्ववत नहीं किया जाएगा जहां पक्ष इस तरह की अभिवचन दायर करने में विफल रहता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(xii) एंजेलो ब्रदर्स लिमिटेड बनाम बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड व एक अन्य[2] के प्रकरण में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जब कोई प्रतिवादी/प्रत्यर्थी आपत्तिकर्ता (डेमरर) के माध्यम से अभिवचन दायर करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह वाद या आवेदन में तथ्यों की स्वीकृति है, जिसे आने वाले सभी समय के लिए खारिज करने की मांग की जाती है। दूसरे शब्दों में, प्रारंभिक बिंदु पर निर्णय लेते समय की गई धारणा को ऐसे आवेदक के बाद में प्रकरण लड़ने के अपने अधिकार को खोने का परिणाम नहीं कहा जा सकता है। ऐसा दावा आदेश **VIII** में निहित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहां निर्णय पोषणीयता के बिंदु पर लिया जाता है न कि मामले के गुण-दोष पर।

2 2017 SCC Online Cal 7682

13) **विनोद इन्फ्रा डेवलपर्स लिमिटेड बनाम महावीर लूनिया व अन्य**[3] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII** नियम 11 के तहत वादपत्र की अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब वादपत्र प्रथम दृष्टया और बचाव पर विचार किए बिना, वाद हेतुक का खुलासा करने में विफल रहता है, किसी भी विधि द्वारा वर्जित है, कम मूल्यांकित किया गया है, या उसका स्टाम्प अपर्याप्त है। सुसंगत कण्डिका यहाँ नीचे उद्धरित की जा रही हैः-

> 8. विधि की स्थिति यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII** नियम 11 के तहत वादपत्र की अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब वाद, प्रथम दृष्टया और बचाव पर विचार किए बिना, वाद हेतुक का खुलासा करने में विफल रहता है, किसी भी विधि द्वारा वर्जित है, कम मूल्यांकित किया जाता है, या उसका स्टाम्प अपर्याप्त है। इस प्रारंभिक स्तर पर, न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने परीक्षण को सख्ती से वादपत्र में किए गए कथनों तक सीमित रखे और दावों के गुण-दोष या सच्चाई में हस्तक्षेप न करे। यदि अभिवचनों से कोई विचारण योग्य विवाद्यक उत्पन्न होता है, तो वाद संक्षेप में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। विधि के इस सुस्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII** नियम 11 के तहत वादपत्र को खारिज किया जाना उचित था।

14) हाल ही में, **सिविल अपील सं. 3560-3561/2023, करम सिंहबनाम अमरजीत सिंह व अन्य**[4] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सिविल

---

3 2025 LiveLaw (SC) 630

4 2025 LiveLaw (SC) 1011

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII** नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के स्तर पर बचाव पर विचार नहीं किया जाता है और क्या वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है या नहीं, यह वादपत्र में किए गए कथनों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

15) यह सच है कि वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आवेदन का निर्णय करते समय, बचाव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु साथ ही शुरुआत में दावे की विधिक पर्याप्तता पर विचार किया जा सकता है यदि यह विधि के शुद्ध प्रश्न तक ही सीमित है। वर्तमान प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय ने व्यवहार वाद को पृथम दृष्टया वाद को विधि द्वारा वर्जित पाया, अतः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (घ) के उपबंधों को लागू किया और वादपत्र को खारिज कर दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16) श्री झा ने इस आशय का तर्क दिया है कि अधिनियम, 1988 की धारा 4 (1) के उपबंधों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने **सी. गंगाचरण बनाम सी. नारायणन**[5] के मामले में अभिनिर्धारित किया कि बेनामी संव्यवहार अधिनियम और अध्यादेश पूर्वव्यापी नहीं हैं और लंबित वादों पर लागू नहीं होते हैं। सुसंगत कण्डिका यहाँ नीचे उद्धरित की जा रही हैः-

> 5. इसके अलावा, आर. राजगोपाल रेड्डी (मृत), विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम पद्मिनी चंद्रशेखरन (मृत), (1995) 2 एस. सी. सी. 630:1995 एयर एस.सी.डब्ल्यू 1422:(ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 238) के प्रकरण में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उक्त अधिनियम और अध्यादेश पूर्वव्यापी नहीं थे और यह अधिनियम लंबित वादों पर लागू नहीं होता था जो अधिनियम की धारा 4 के लागू होने से पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके थे और जिन पर विचार किया जा चुका था। ऐसा होने के कारण, वर्तमान प्रकरण में उच्च न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करने और यह अभिनिर्धारित कर त्रुटि

5 AIR 2000 SC 589

कारित की कि अपीलार्थी का कब्जा वसूल करने का अधिकार उक्त अधिनियम के आधार पर समाप्त हो गया था।

प्रस्तुत प्रकरण में, वाद संपत्ति 27.2.1974 दिनांकित पंजीकृत विक्रय-विलेख के माध्यम से खरीदी गई थी, परन्तु वादी द्वारा अधिनियम, 1988 के अधिनियमन के बाद 10.5.2012 को वाद प्रस्तुत किया गया था, अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने अधिनियम, 1988 की धारा 4 (1) के उपबंधों को सही ढंग से लागू किया है और इसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया है।

17) उपरोक्त विवेचित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई प्रकरण नहीं बनता है। परिणामस्वरूप यह अपील विफल हो जाती है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(राकेश मोहन पांडे)

न्यायाधीश

<u>प्रथम अपील सं. 106/2016</u>

<u>शीर्ष टिप्पण</u>

दावे की विधिक पर्याप्तता को शुरू में चुनौती देने के लिए आपत्तिकर्ता (डेमरर) का अभिवचन एक वैध प्रक्रियात्मक उपकरण है, जो अभिवचनों पर स्पष्ट रूप से विधि के शुद्ध प्रश्नों तक ही सीमित है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur